गोपनीय

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.2सी( )2023–24 / गोप्र–विविध / प्रमुवसं–09509 / 3061 दिनांक 18 दिसम्बर, 2025

समस्त राजस्थान वन सेवा अधिकारीगण

विषयः अपने स्वयं के गोपनीय प्रतिवेदनों में सही प्रकार से पदानुक्रम (hierarchy) निर्धारित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः राज्य सरकार का पत्र कमांक प.12(53)वन / 2023–07442 पार्ट–2 दिनांक 01.12.2025 एवं कार्मिक विभाग की अशा.टीप कमांक 13(1)आरएफएस / का. / क–1 / गो.प्र. / 2023 दिनांक 15.10.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित चैनल अनुसार अपने स्वयं के गोपनीय प्रतिवेदनों की पदानुक्रम (hierarchy) निर्धारित नहीं की जाकर गलत तरीके से पदानुक्रम (hierarchy) निर्धारित की जा रही है, जिससे गोपनीय प्रतिवेदनों पर सक्षम अधिकारी की टिप्पणी अंकित नहीं हो पाती है और उनकी प्रामाणिकता (authencity) नहीं बनी रहती है। ऐसे कृत्य को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर पत्राचार किया जाता है।

ऐसी स्थिति से बचने हेतु सभी राज्य वन सेवा के अधिकारीगण उक्त पदानुक्रम (hierarchy) की प्रामाणिकता एवं नियमानुसार सही होना सुनिश्चित करें। भविष्य में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(4)वन / 05 दिनांक 17.07.2007 एवं समय–समय पर जारी परिपत्रों के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने स्वयं के गोपनीय प्रतिवेदनों पर प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकारोक्ता अधिकारी के नाम अंकित कर पदानुक्रम (hierarchy) निर्धारित कर कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी अधिकारी द्वारा उक्तानुसार गोपनीय प्रतिवेदन सही नहीं भरे जाते हैं, तो इसके लिये वे व्यक्तिगत जिम्मेदार ठहराये जायेंगे एवं ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन, बल प्रमुख)
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.2सी( )2023–24 / गोप्र–विविध / प्रमुवसं–09509 / दिनांक दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. समस्त वनाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि गोपनीय प्रतिवेदनों पर प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी के रूप में टिप्पणी अंकित करते समय गोपनीय प्रतिवेदनों संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित पदानुक्रम (Hierarchy) को सत्यापित कर सही होने पर ही अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रतिलिपि उप वन संरक्षक (आई.टी), अरण्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए राजस्थान / भारतीय वन सेवा अधिकारियों के ग्रुप में ड़लवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन, बल प्रमुख)
राजस्थान जयपुर

Signature Not Verified
Digitally Signed by ARIJIT BANERJEE
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :18-12-2025 10:56:36

RajKaj Ref No.: 19389263
eSign DSC